वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

पत्र संख्या- 142/2025 *दिनांक- 17.04.2025*

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने के क्रम में आज दिनांक- 17.04.2025 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्न कार्यवाही की गयी है-

01.थाना जहानागंजः शेयर बाजार के नाम पर रूपयें की धोखाधड़ी करने वाला एक अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व की घटना-

अवगत कराना है कि दिनांक 09.12.2021 को प्राप्त तहरीर बासुदेव चौहान पुत्र अंबर चौहान ग्राम लक्ष्मीपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ में विपक्षी 1. अरबिन्द पुत्र मुसाफिर 2 . मुसाफिर पुत्र सूरजू 3 सुनीता पत्नी अरबिन्द साकिनान इदिलपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ द्वारा शेयर बाजार में साजिश करके रुपया लगाने की बात कह कर वादी मुकदमा से 4,42,500 रूपया खाते में ट्रान्सफर करा लिया गया तथा धोखा - धड़ी करके पैसा वापस नहीं किया गया व मांगने पर जान से मारने की धमकी दी गयी, के संबन्ध में थाना हाजा पर मु0अ0सं0 289/21 धारा 406/419/420/120बी/506 भादवि घटनास्थल ग्राम लक्ष्मीपुर बनाम 1. अरबिन्द पुत्र मुसाफिर आदि 03 नफर पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तारी का विवरणः-

दिनांक 16.04.25 को उ0नि0 ओम प्रकाश यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त अरविन्द कुमार चौहान पुत्र मुसाफिर निवासी ईदिलपुर थाना जहानागंज उम्र 47 वर्ष को हाइड्रिल चौराहा सिधारी के पास से समय करीब 17.30 बजे अभियुक्त को गिरफ्तार कर पुलिस हिरासत में लिया गया तथा बाद पुलिस कार्यवाही अभियुक्त को मा0 न्यायाा0 भेजा गया।

पंजीकृत अभियोगः-

1. मु0अ0सं0 289/21 धारा 406/419/420/120बी/506 भादवि थाना जहानागंज आजमगढ़ –

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. अरविन्द कुमार चौहान पुत्र मुसाफिर निवासी ईदिलपुर थाना जहानागंज उम्र 47 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरणः-

उ0नि0 ओम प्रकाश यादव, का0 आलोक कुमार थाना जहानागंज आजमगढ़

02.थाना –मेंहनाजपुर: गैर इरादत्तन हत्या के प्रयास में वांछित एक अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व की घटना:-

दिनांक 03.03.2025 को वादी मुकदमा रविन्द्र राजभर पुत्र श्यामकेर निवासी जमुखा थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़ ने लिखित तहरीर दिया कि वादी की पुत्र अशोक बगल के जय हिन्द उर्फ मोटू पुत्र श्यामलाल की पत्नी से हंसी मजाक कर रहा था इसी बात को लेकर जय हिन्द उर्फ मोटू मेरे लङके अशोक को लाठी डन्डा से मारकर घायल कर दिया एवं गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देकर भाग गया के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 18/2025 धारा 115(2)/352/353(3)/117(2)/110 बीएनएस बनाम 1. जहेन्द्र राजभर पुत्र श्यामलाल राजभर निवासी जमुखा थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ पंजीकृत किया गया है। मुकदमा उपरोक्त की विवेचना उ0नि0 कमालुद्दीन के द्वारा सम्पादित की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण :-

दिनांक 17.04.2025 को उ0नि0 कमालुद्दीन मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त जहेंदर राजभर उर्फ मोटू पुत्र श्यामलाल निवासी जमुखा थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ को अभियुक्त के घर से समय करीब 11.05 बजे नियमानुसार हिरासत पुलिस में लिया गया । गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग–

1-मु.अ.सं. 18/2025 धारा 115(2)/352/353(3)/117(2)/110 बीएनएस थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त:-

1-जहेन्द्र राजभर पुत्र श्यामलाल राजभर निवासी जमुखा थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ

गिरफ्तार करने वाली टीम :-

1. उ0नि0 कमालुद्दीन थाना मेहनाजपुर ,आजमगढ़
2. हे0का0 संजय सिंह थाना मेहनाजपुर , आजमगढ़

03.थाना मुबारकपुरः रंगदारी के रूप मे रूपये मांगने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना–

दिनांक 15.04.2025 को वादी मुकदमा मिर्जा मसीउद्दीन बेग निवासी अलीनगर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा सूचना दी गयी कि वादी मुकदमा के पुत्र के शादी समारोह के दौरान अभियुक्त जावेद हसन अंसारी पुत्र स्व0 नौशाद अहमद मुहल्ला पुरासोफी थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा वादी मुकदमा के निजी आवास बेडरूम आदि का फोटो ले लिया गया एवं शोशल मिडिया पर अपलोड कर दिया गया। उक्त फोटो को डिलीट करने के बदले मे वादी मुकदमा से रूपये (मोटी रकम) की मांग करने लगा एवं नही देने पर जान से मारने की धमकी दिये जाने के सम्बन्ध मे प्राप्त हुआ। जिसके आधार पर थाना मुबारकपुर पर मु0अ0सं0 157/2025 धारा 318(4)/308(5) बीएनएस पंजीकृत किया गया है। जिसकी विवेचना उ0नि0 राघव राम यादव द्वारा सम्पादित की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण–

दिनांक 16.04.2025 को उ0नि0 राघव राम यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से वांछित अभियुक्त जावेद हसन अंसारी पुत्र स्व0 नौशाद अहमद मुहल्ला पुरासोफी थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ को अभियुक्त के घर ग्राम पुरासोफी मे दबिश देकर समय करीब 20.15 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पंजीकृत अभियोग-

1-मु0अ0सं0157/2025 धारा 318(4)/308(5) बीएनएस थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ

एसपीआरए ने नवीन पुलिस चौकी देवरान्चल थाना महराजगंज के निर्माण से पूर्व किया भूमि पूजन

आज दिनांक- 17.04.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण आजमगढ़ चिराग जैन द्वारा थाना महराजगंज क्षेत्रान्तर्गत देवारा में नवीन पुलिस चौकी देवरान्चल के निर्माण से पूर्व भूमि पूजन किया गया। उक्त कार्यक्रम में थाना प्रभारी महराजगंज विनय मिश्र, ग्राम प्रधान, ग्रामवासी व अन्य कर्मचारीगण मौजूद रहें।